राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 3/2016

जगदीश पुत्र माधोलाल जाति महाजन निवासी मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 06.05.2016 निर्णय दिनांक : 05.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या नया 37 पुराना 36 खसरा नं0 207 रकबा 0.45 है0 खसरा नं0 257 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 288 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 290 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 294 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 295/789 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 296 रकबा 0.18 है0 खसरा नं0 403 रकबा 0.58 है0 कुल किता 9 रकबा 2.15 है0 ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल में स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 288 रकबा 0.17 है0 खसरा नं0 290 रकबा 0.12 है0 आराजी सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 288 रकबा 0.17 है0 के खसरा नं0 161 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा था जो कि गत रकबे की अपेक्षा रकबा 0.03 है0 कम है तथा खसरा नं0 290 रकबा 0.12 है0 के सेटलमेंट पूर्व खसरा नं0 148 रकबा 16 बिस्वा था जो कि गत रकबे की अपेक्षा 0.03 है0 कम दर्ज किया है। जिसकी पूर्ति करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अतः प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम मूण्डली में खसरा नं0 288 रकबा 0.17 है0 में कमी रकबे 0.04 है0 व खसरा नं0 290 रकबा 0.12 है0 में कमी रकबे 0.03 है0 की पूर्ति किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/4 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अंकन किया कि दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण के खसरा नं0 255 में 0.02 है0 की कमी व खसरा नं. 290 में 0.01 है0 की कमी हुई है तथा खसरा नं0 206 में 0.01 है0 तथा खसरा नं0 296 में 0.01 है0 की बेशी तथा खसरा नं0 403 में 0.01 है0 रकबा बेशी हुआ है। इस प्रकार खाते में 0.03 है0

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

कमी तथा 0.03 है रकबा बेशी हुआ है। इससे प्रार्थी के खाते में रकबा बराबर है और रकबा दिया जाना सम्भव नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण ने बाद सेटलमेंट हुई कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण के खसरा नं0 255 में 0.02 है0 की कमी व खसरा नं. 290 में 0.01 है0 की कमी हुई है तथा खसरा नं0 206 में 0.01 है0 की बेशी तथा खसरा नं0 296 में 0.01 है0 की बेशी तथा खसरा नं0 403 में 0.01 है0 रकबा बेशी हुआ है। इस प्रकार खाते में 0.03 है0 की कमी तथा 0.03 है रकबा बेशी हुआ है। इससे प्रार्थी के खाते में रकबा बराबर है। प्रार्थीगण के सम्पूर्ण रकबे में कमी नही हुई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल